



कार्मिकों के बच्चों के लिए हिंदी प्रोत्साहन योजना

1.0 शीर्षक:

इस योजना को 'कार्मिकों के बच्चों के लिए हिंदी प्रोत्साहन योजना' कहा जाएगा।

2.0 उद्देश्य:

इस योजना का उद्देश्य एनएचडीसी के कार्मिकों के बच्चों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि बढ़ाना और इस योजना में निर्धारित मानदंडों के अनुसार निर्दिष्ट परीक्षा में हिंदी विषय में अच्छे अंक प्राप्त करने पर उन्हें पुरस्कृत करना है।

3.0 व्याप्ति:

इस योजना में निगम के सभी नियमित अधिकारियों व कर्मचारियों के बच्चे भाग ले सकेंगे।

4.0 परिभाषा:

इस योजना के अंतर्गत जब तक विषय से अन्यथा अपेक्षित न हो -

क) कार्मिक से अभिप्राय है- निगम के उपर्युक्त पैरा 3 में उल्लिखित अधिकारी व कर्मचारी।

ख) बच्चे से अभिप्राय है-सौतेले और दत्तक बच्चे सहित कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित बच्चे।

ग) निगम से अभिप्राय है - एनएचडीसी लिमिटेड

5.0 पात्रता मानदंड:

कार्मिक के जिस बच्चे ने किसी भी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 10वीं या 12वीं परीक्षा हिंदी विषय में कम से कम 70 प्रतिशत से अधिक अंक या बी-1 ग्रेड प्राप्त करके उत्तीर्ण की हो, वे इस योजना में पुरस्कार पाने के पात्र होंगे।

6.0 पुरस्कार:

| विवरण | दसवीं कक्षा उत्तीर्ण | बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण |
|--|----------------------|------------------------|
| 71 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक अंक प्राप्त करने पर या ग्रेड-बी1, ग्रेड प्वांट 8 प्राप्त करने पर | 1000/-रु. | 1200/- रु. |
| 81 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक अंक प्राप्त करने पर या ग्रेड-ए2, ग्रेड प्वांट 9 प्राप्त करने पर | 1200/-रु. | 1500/- रु. |
| 91 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर या ग्रेडए1, या ग्रेड प्वाइंट 10 प्राप्त करने पर | 1500/-रु. | 2000/- रु. |

7.0 योजना का प्रबंधन:

- 7.1 इस योजना का संचालन निगम मुख्यालय में राजभाषा अनुभाग तथा परियोजना/ कार्यालय आदि में वहां के राजभाषा अनुभाग/मानव संसाधन विभाग द्वारा किया जाएगा।
- 7.2 संबंधित कार्मिक के बच्चे का परीक्षा परिणाम आने की तारीख से तीन माह के अंदर संलग्न प्रपत्र में अपना दावा सीधे राजभाषा अनुभाग/मानव संसाधन विभाग को प्रस्तुत करेगा। परीक्षा परिणाम की तारीख से तीन माह बाद प्राप्त दावों पर पुरस्कार हेतु विचार नहीं किया जाएगा।
- 7.3 राजभाषा अनुभाग/मानव संसाधन विभाग ऐसे सभी दावों की इस योजना में निर्धारित मानदंडों के परिप्रेक्ष्य में समीक्षा करेगा और पात्र बच्चों को पुरस्कारों की राशि के बैंक जारी करने के लिए राजभाषा/मानव संसाधन विभागाध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करके वित्त विभाग को सूचित करेगा।
- 7.4 पुरस्कार राशि का भुगतान राजभाषा अनुभाग को आबंटित बजट में से किया जाएगा।
- 7.5 वित्त विभाग तदनुसार बैंक के माध्यम से संबंधित बच्चों को पुरस्कार की राशि का भुगतान करेगा।

8.0 सामान्य:

- 8.1 इस योजना के अंतर्गत नियमित कार्मिक से अभिप्राय उन कार्मिकों से है जो मानव संसाधन विभाग द्वारा अन्य नियमों के तहत नियमित कार्मिक के रूप में परिभाषित किए गए हैं।
- 8.2 निगम को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय बिना कारण बताए मुख्य कार्यपालक निदेशक, एनएचडीसी के अनुमोदन से इस योजना में संशोधन/आशोधन कर सकता है या पूरी योजना को, अथवा योजना के किसी अंश को समाप्त कर सकता है अथवा योजना के किसी भी प्रावधान से छूट भी दे सकता है।
- 8.3 उपर्युक्त योजना शैक्षिक वर्ष 2012-13 से लागू होगी।



कार्मिकों के बच्चों के लिए हिंदी प्रोत्साहन योजना में भाग हेतु आवेदन प्रपत्र

ध्यान दें - प्रत्येक बच्चे के लिए अलग से आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करें।

1. कार्मिक का नाम:
2. कर्मचारी संख्या:
3. पदनाम:
4. विभाग:
5. टेलीफोन नंबर:
6. कार्मिक के बच्चे का नाम
- जिसने परीक्षा उत्तीर्ण की है:
7. परीक्षा (10वीं / 12वीं)
8. किस बोर्ड /संस्था /स्कूल/कॉलेज/
- विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की
9. हिंदी विषय में प्राप्त अंको का ब्यौरा.....
- अधिकतम अंक:
- प्राप्तांक:
- प्रतिशत:
- (कृपया दस्तावेजी प्रमाण संलग्न करें)
10. कोई अन्य सूचना

मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि जिस स्कूल /बोर्ड/संस्था से मेरे बच्चे ने परीक्षा पास की है, वह मान्यता प्राप्त है।

- मेरी पत्नी/मेरा पति एनएचडीसी लिमिटेड में कार्यरत है/नहीं है।
- मेरी पत्नी/मेरा पति जो एनएचडीसी में के पद पर कार्यरत है। वह हमारे उपरिलिखित बच्चों के लिए इस पुरस्कार के लिए आवेदन नहीं करेगी/करेगा।

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार उपर्युक्त सूचना सही है। इस आवेदन के समर्थन में, मैं अपने बच्चे की अंक तालिका/प्रमाण-पत्र की फोटोप्रति संलग्न कर रहा/रही हूँ।

स्थान: हस्ताक्षर:

तारीख: नाम :

इंटरकॉम:

‘जो लागू न हो उसे कृपया काट दें